पंचायत निगरानी संख्या : 143/2024
उनवान : सकाराम बनाम किशोर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 143/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/319

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
सकाराम पुत्र दुदाजी निवासी ढोला जागीर तहसील सुमेरपुर जिला पाली	बनाम	1. किशोर 2. दिनेश 3. विनोद पुत्रगण हिरालाल जाति सीरवी निवासी ढोला जागीर तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज. 4. ग्राम पंचायत ढोला जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत ढोला के दिनांक 02.06.2004 के जरिये अप्रार्थीगण के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया उस संकल्प को निरस्त कराने बाबत्।

उपस्थिति :–
1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड़।
2. अप्रार्थी संख्या 01, 02 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

<u>–:निर्णय:–</u>

दिनांक: 18.08.2025

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **ग्राम पंचायत ढोला के दिनांक 02.06.2004 के जरिये अप्रार्थीगण के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया उस संकल्प को निरस्त कराने बाबत्** पेश की गई निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि जैर निगरानी आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने न तो प्रार्थी को सुना और न ही ग्राम पंचायत ने आम चौहटा व विवादित स्थल पर कोई नोटिस ही चस्पा किया, ऐसी सुरत में उक्त आदेश प्रथम दृष्टया खारिज करने योग्य है। यह कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत के यहां जो आवेदन पेश करना बताया गया वो कौनसी तारीख को पेश हुआ इसका कही उल्लेख नहीं, किसने आवेदन पेश किया उनके अंगुष्ठ या हस्ताक्षर नहीं, किसकी ओर से पेश हुआ इसका कही उल्लेख नहीं है, और किसने आवेदन पंचायत में हासिल किया और आवेदन पेश होते ही मिसल कायम की गई यह भी किस खुशी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 143/2024
उनवान : सकाराम बनाम किशोर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

में लिखा कुछ भी उल्लेखित नही यहां तक रसीद संख्या, दिनांक जो भी है सब खाली है। इस कारण उक्त प्रस्ताव निरस्त करने योग्य है।

यह कि प्रथम आदेश पंजिका तारीख 06.01.2004 को लिखी गई जो पट्टा बनाने के लिये लिखी हुई नही है बल्कि प्रार्थी ने अपना आवासीय मकान का नक्शा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस तरह आवेदन के विपरित आदेश पंजिका और आदेश पंजिका के विपरित पट्टा देने का जो निर्णय लिया है वह प्रथम दृष्टया अवैध होने से ऐसा प्रस्ताव खारिज करने योग्य है।

यह कि अप्रार्थी को पट्टा देने संबंधी कार्यवाही शुरु करने के पहले सीधे ही सचिव भूमि का नक्शा बनाकर पेश करे जबकि आवेदन शुल्क जमा नहीं, नक्शा शुल्क जमा नही है इसलिए नक्शा बनाने का आदेश दिया नही जा सकता था फिर भी दिया है जो खारिज करने योग्य है।

यह कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने किन वार्ड पंचों को मौका देखने के लिए कहा, ऐसा कही आदेश में उल्लेख नहीं और न ही मौका रिपोर्ट अपने आप में स्पष्ट है कि कितनी जमीन, कौनसे पड़ौस की जमीन न ही वार्ड पंचो द्वारा कोई स्पष्ट राय दी हुई है। ऐसी सूरत में अप्रार्थीगण के पट्टे संबंधी प्रस्ताव को निरस्त करना लाजमी है।

यह कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने आदेश पंजिका तारीख 05.03.2004 को लिखी गई उसमें लिखा कि तारीख 05.02.2004 को प्रार्थी के आवासीय मकान का नक्शा बनाने हेतु एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। नक्शा बनाने संबंधी कोई आपत्ति इश्तिहार जारी होता ही नहीं है। साथ ही उसी तारीख के आदेश में यह लिख दिया कि नियम 157 ख के तहत अप्रार्थीगण के पक्ष में पट्टा देने का सर्वसम्मति से निर्णय पारित कर दिया जबकि न तो अस्थाई कोई निर्णय लिया, न ही नियम 157 ख के तहत अप्रार्थीगण या इनके गवाहान के बयान हुये और तारीख 02.06.2004 को यह आदेश कर दिया कि प्रार्थी मय गवाह के अपने मकान का आवासीय पट्टा प्राप्त करने हेतु हाजिर हुये और गवाहान के बयान लिये जाकर रसीद संख्या 543 द्वारा पट्टा जारी कर दिया जबकि न तो गवाह के बयान हुए यहा तक एक बयान फॉर्म में दो व्यक्तियों के नाम लिख दिए जिनकी स्वयं की उम्र भी 50 वर्ष से कम है और न ही गवाहो ने इस बात की ताईद की कितने समय से इनका रहवासीय मकान है। यहा तक अप्रार्थीगण स्वयं भी पट्टा जारी करते वक्त कम उम्र के थे जिन्होंने न तो अपने रहवासीय मकान की कोई शहादत ही दी है न ही इनके गवाहान के बयानो से इनके मकान का पुराना कब्जा बतौर मकान ही साबित किया है। ऐसी सूरत में पंचायत ने जो पट्टा जारी करने संबंधी प्रक्रिया अपनाई है वह अवैध, अशुद्ध व अनियमित है जिस प्रस्ताव दिनांक 02.06.2004 को अप्रार्थीगण के पक्ष में पट्टा देने का आदेश दिया है वो खारिज करने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
वाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 143/2024
उनवान : सकाराम बनाम किशोर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

यह कि प्रार्थी के पक्ष में अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पट्टा संख्या 51 तारीख 22.11.75 को तत्कालीन सरपंच ने प्रार्थी जो एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसके पक्ष में निःशूल्क पट्टा जारी किया था जिसमें प्रार्थी का झोपड़ा बना हुआ है। प्रार्थी का मौके पर कब्जा है और यह सब कुछ होते हुये भी अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पट्टे के ऊपर पट्टा दिया है जो कृत्य ग्राम पंचायत का अवैधानिक तौर पर कृत्य है। साथ ही इस तरह का फर्जी व बनावटी पट्टा तैयार करके जो एक षडयन्त्र रचकर वार्ड पंचों एवं सरपंच ने मिलकर प्रार्थी के साथ अन्याय किया है जिसके लिये तत्कालीन सरपंच व उसके वार्ड पंच जिन्होंने मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये है उनके विरुद्ध अपराधिक कृत्य के लिये प्रसंज्ञान लिया जाना वैधानिक तौर पर जरुरी है अर्थात पट्टे के ऊपर पट्टा दिया है जिसको खारिज किया जाना जरुरी है। क्योंकि जिस भूमि का पट्टा दिया है वो भूमि पंचायत की नहीं है इस कारण उक्त पट्टा खारिज करने योग्य है। अतः पंचायत निगरानी पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी की निगरानी स्वीकार फरमावे तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत ढोला का प्रस्ताव दिनांक 02.06.2004 के जरिये जो अप्रार्थीगण के पक्ष में पट्टा जारी किया है उस आदेश मय पट्टे को निरस्त फरमावें।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने निगरानी याचिका का जवाब पेश कर निवेदन किया कि:–

1. निगरानी का पद संख्या 01 गलत होने से अस्वीकार है।
2. निगरानी का पद संख्या 02 गलत होने से अस्वीकार है।
3. निगरानी का पद संख्या 03 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या दो द्वारा चलाई गयी मिसल में कोई आपत्ति पेश नही की है। जिस कारण प्रार्थी को उपरोक्त निगरानी पेश करने का अधिकार नहीं होने से प्रार्थी द्वारा पेश निगरानी काबिल खारिज के है।
4. यह कि निगरानी का पद संख्या 04 गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत की पत्रावली के आदेशिका अनुसार तारीख 06.01.2004 को प्रार्थी द्वारा अपने आवासीय मकान का नक्शा एवं पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर कार्यवाही प्रारम्भ हुयी एवं नियमानुसार पंचायत में कार्यवाही प्रारम्भ की थी। पंचायत की पत्रावली में से अगर कोई प्रार्थना पत्र या नक्शा आदि उपलब्ध नहीं है तो यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी ने आवेदन नहीं किया था। ग्राम पंचायत द्वारा संधारित की जाने वाली पत्रावली की आदेशिका में पंचायत द्वारा पट्टा बनाने बाबत कार्यवाही का उल्लेख है और उन आदेशिकाओं अनुसार अगर कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नही है तो इससे साफ जाहिर है कि ग्राम पंचायत की लापरवाही से दस्तावेज इधर उधार हुये है एवं इस कारण अप्रार्थी संख्या एक लगाय तीन के नाम जारी पट्टे को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 143/2024
उनवान : सकाराम बनाम किशोर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

5. यह कि निगरानी का पद संख्या पांच गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण द्वारा पेश मूल प्रार्थना पत्र को ही पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने से आदेशिका में नक्शा बाबत लिखा गया है जो गलत है जबकि पट्टा बनाने का प्रार्थना पेश किया गया है ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या एक लगाय तीन के नाम नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पट्टा जारी किया गया है।
6. निगरानी का पद संख्या 06 गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण ने आवेदन शूल्क व नक्शा शुल्क जमा करवाया है निगरानी गलत पेश की गई है।
7. यह कि निगरानी का पद संख्या सात गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत ने अपने बोर्ड के सदस्यों से मौका देखने हेतु प्रस्ताव पारित किया और उसकी अनुपालना में मौका रिपोर्ट पत्रावली के शामिल की गयी इस बाबत किसी की आपत्ति नहीं आने से अप्रार्थीगण के नाम पट्टा जारी किया गया है जो सही जारी किया है इस कारण भी प्रार्थी की निगरानी काबिल खारिज है।
8. यह कि निगरानी का पद संख्या आठ गलत होने से अस्वीकार है। पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नियम 157 ख के तहत अप्रार्थीगण के पक्ष में सर्व सहमति से पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित किया था जिस पट्टा की पत्रावली में पंचायत नियमों के तहत सम्पूर्ण कार्यवाही की गयी है। अप्रार्थीगण के पैतृक पुश्तैनी कब्जे की भूमि के रहवासीय मकान का पट्टा जारी किया गया है जिसमें अप्रार्थीगण की उम्र का कोई सम्बन्ध नहीं है। अप्रार्थीगण तमाम ही बालिग है और अपने पुश्तैनी कब्जा शुदा आवासीय मकान का पट्टा प्राप्त करना चाहते थे इसी उद्देश्य से पंचायत के प्रार्थना पत्र पेश किय और पंचायत में पंचों द्वारा नियमानुसार जारी करने की तमाम प्रक्रिया पूरी कर दिनांक 02.06.2004 को प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थीगण के नाम पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया गया है जो पूर्ण रुप से वैध व कानून सम्मत पट्टा जारी किया गया है।

9. यह कि निगरानी का पद संख्या आठ गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं ने पूर्व में भी कई अवसरों पर यह स्वीकार किया कि उसके नाम से कोई पट्टा नही बना हुआ है एवं उसके जो भी दस्तावेज वह बाढ में बह गये थे इस प्रकार केवल अब अप्रार्थीगण के नियमानुसार जारी पट्टे को खारिज करने की नियत से प्रार्थी ने सरासर गलत व झूठ आरोप लगाकर उक्त निगरानी पेश की है। जबकि अप्रार्थीगण के नाम ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियमों के तहत कार्यवाही करते हुए धारा 157 ख के तहत पट्टा जारी किया गया है जो पट्टा पूर्णरुप से वैध प्रक्रिया द्वारा जारी किया गया है जिस कारण प्रार्थी की निगरानी काबिल खारिज है। अतः निगरानी का जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी मय खर्चा खारिज फरमाया जाए।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 143/2024
उनवान : सकाराम बनाम किशोर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

पंचायत निगरानी याचिका दर्ज कर अप्रार्थीगण को ज़रिए सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक एवं दो जरिए अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या तीन एवं चार बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत ढोला से पूर्व में तलब किया जो मूल निगरानी के साथ पूर्व न्यायालय जिला कलक्टर पाली से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ उक्त रिकॉर्ड में दो के स्थान पर एक बैठक कार्यवाही रजिस्टर दिनांक (20.05.2004 से) ही स्थानान्तरित पत्रावली के साथ प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली है। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया। काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि जैर निगरानी आलोच्य पट्टे से सम्बन्धित भूमि का पार्थी श्री सकाराम के पक्ष में ग्राम पंचायत ढोला द्वारा पूर्व में दिनांक 22.11.1975 को पट्टा संख्या 51 जारी किया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा इसी भूखण्ड का अप्रार्थीगण के पक्ष में बिना किसी वैध आधार एवं अधिकार के आलोच्य पट्टा जरिए संकल्प दिनांक 05.03.2004 के पुनः पट्टा अर्थात आलोच्य भूमि विक्रय विलेख निष्पादित किया है, जो कि पट्टे पर पट्टा होने के कारण काबिल खारिज है। यह भी, कि आलोच्य मिसल संख्या 123/2004–05 में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रक्रियात्मक उपबन्धों की पालना नहीं की गई है, जिसका निगरानी याचिका के पैराग्राफ संख्या तीन से आठ में विस्तृत विवरण अंकित है। अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने वक़्त बहस यह भी जाहिर किया कि जैर निगरानी आलोच्य भूखण्ड के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सुमेरपुर में एक वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया था, जो प्रकरण संख्या 44/2010 के रुप में दर्ज होकर निर्णय दिनांक 24.05.2018 को खारिज किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा भी विवादग्रस्त भूखण्ड पर प्रार्थी का ही कब्जा प्रमाणित माना गया एवं अप्रार्थीगण का वाद खारिज किया गया था। संक्षेप में पूर्व में पट्टा बना होने के उपरान्त भी नवीन पट्टा निष्पादित करने, प्रक्रियात्मक उपबन्धों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं होने के उपरान्त भी पुश्तैनी कब्जे के आधार पर नियम 157 के अन्तर्गत पट्टा जारी करने जैसे आधारों पर ग्राम पंचायत ढोला द्वारा पारित संकल्प दिनांक 05.03.2004 एवं इसके अनुक्रम में जारी आलोच्य पट्टा दिनांक 02.06.2004 निरस्त किया जाए।

उपरोक्त तर्कों के प्रत्युतर में काबिल अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या एक एवं दो ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी स्वयं ने पूर्व में कई अवसरों पर यह स्वीकार किया है कि इस भूखण्ड का उसके नाम से कोई पट्टा बना नहीं बना हुआ है। एवं जो भी दस्तावेज थे, वे बाढ में बह गए। प्राथी द्वारा असत्य आधारों पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी वैध पट्टे को खारिज करने का प्रयत्न किया जा रहा है। प्रार्थी का यह तर्क आधार हीन है कि अप्रार्थीगण द्वारा पट्टा बनाने हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। मूल मिसल की आदेशिका दिनांक 06.01.2004 में

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
वाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 143/2024
उनवान : सकाराम बनाम किशोर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

स्पष्ट रुप से अंकित है कि प्रार्थी द्वारा इस निमित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। हमारा हस्ताक्षरशुदा प्रार्थना पत्र यदि मूल मिसल में उपलब्ध नहीं है, तो यह सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्मिको की लापरवाहीं है, यह भी, कि ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना करते हुए कोरम में प्रस्ताव पारित कर पूर्ण रुप से वैध एवं कानून सम्मत पट्टा जारी किया है। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने यह भी जाहिर किया कि स्वयं प्रार्थी ने विवादग्रस्त जैर निगरानी भूखण्ड को दिनांक 31.03.1992 को ज़रिए पंजीबद्ध विक्रय विलेख अप्रार्थीगण को बेचान कर दिया था, अतः उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में प्रार्थी के समस्त अधिकार पूर्व में ही समाप्त हो चुके है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन होने से खारिज फरमावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल मिसल एवं आलोच्य पट्टे की मूल कार्यालय प्रति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा आलोच्य भूमि विक्रय विलेख संख्या 4371 दिनांक 02.06.2004 की वैधता को मुख्यतः दो आधारों पर चुनौति प्रस्तुत की गई है:–

(अ.) प्रश्नगत भूखण्ड का पूर्व में एक पट्टा प्रार्थी श्री सकाराम के पक्ष में दिनांक 22.11.1975 को जारी है। तथा ग्राम पंचायत ढोला द्वारा पट्टाशुदा भूखण्ड का पुनः अप्रार्थीगण के पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी कर अवैध एवं अधिकारिता से परे जाकर कार्यवाही सम्पादित की गई है।

(ब.) ज़ैर निगरानी आलोच्य संकल्प तथा भूमि विक्रय विलेख के सम्बन्ध में मिसल संख्या 123/2004–05 में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रक्रियात्मक उपबन्धों की पालना नहीं की गई है।

प्रार्थीपक्ष ने निगरानी याचिका के पैराग्राफ संख्या 09 में यह अंकन किया है कि आलोच्य भूखण्ड का इसी ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में दिनांक 22.11.1975 को प्रार्थी के पक्ष में एक निःशुल्क पट्टा जारी किया गया था, जिसके क्रमांक 51 है। प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टा संख्या 51 की प्रतिलिपि भी निगरानी याचिका के संलग्न पेश की गई है। अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 04.06.2022 के पैराग्राम संख्या नौ में उपरोक्त कथन का खण्डन करते हुए अंकित किया है कि प्रार्थी स्वयं ने पूर्व में भी कई अवसरों पर यह स्वीकार किया है कि उसके नाम से कोई पट्टा नहीं बना हुआ है, उसके समस्त दस्तावेज बाढ़ में बह गए थे एवं अब अप्रार्थीगण को नियमानुसार जारी पट्टे को खारिज करने की नियत से प्रार्थी ने गलत एवं झूठे आरोप लगाकर उक्त निगरानी पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 143/2024
उनवान : सकाराम बनाम किशोर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत ढोला द्वारा प्रेषित आलोच्य मिसल संख्या 123/2004–05 का अवलोकन करने से यह जाहिर होता है कि उक्त मिसल में पृष्ठ संख्या आठ पर बेचान इकरारनामा दिनांक 08.01.1992 की प्रति सलंग्न है, जो बेचान इकरारनामा प्रार्थी श्री सकाराम द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में निष्पादित किया जाना प्रथमदृष्टया अंकित है। उक्त बेचान इकरारनामें में प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आलोच्य भूखण्ड बमाप 1350 वर्गफीट को स्वयं का 'पट्टाशूदा प्लोट' होना तथा 'पट्टे को चूहे ने काट दिया है' का अंकन करना भी प्रथमदृष्टया दृष्टिगोचर होता है यहाँ यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि पक्षकारों के मध्य न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सुमेरपुर में निर्णीत स्थायी निषेधाज्ञा वाद गत संख्या 44/2010 एवं नवीन प्रकरण संख्या 23/2016 के निर्णय दिनांक 24.05.2018 में माननीय न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या एक वादीगण (अर्थात् हस्तगत निगरानी में अप्रार्थीगण) के पक्ष में निर्णीत करते हुए निर्णय के पैरा संख्या 17 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि वादग्रस्त भूखण्ड वादी(अप्रार्थीगण) द्वारा प्रतिवादी संख्या एक(प्रार्थी श्री सकाराम) से ज़रिए पंजीकृत विक्रय विलेख खरीद गया था एवं वह इस भूखण्ड का स्वामी है। निर्णय के पैराग्राम संख्या दो में उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 31.03.1992 को निष्पादित होने का अंकन है। यद्यपि हस्तगत पंचायत निगरानी में न तो प्रार्थी और न ही अप्रार्थीगण ने उक्त विक्रय विलेख के सम्बन्ध में कोई कथन किया है। किन्तु ग्राम पंचायत ढोला द्वारा प्रेषित मूल मिसल संख्या 123/2024–25 में उक्त विक्रय विलेख दिनांक 31.03.1992 की प्रति सलंग्न है। जिस पर पृष्ठ संख्या अर्थात् नम्बरिंग नहीं की गई है। विक्रय विलेख की उक्त प्रति में भी प्रार्थी श्री सकाराम द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा उसके नाम से पूर्व में बना होने तथा बाढ में बह जाने का अंकन किया जाना प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है। जैसा की पूर्व में उल्लेख है कि माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सुमेरपुर द्वारा भी प्रकरण संख्या 44/2010 में प्रदत निर्णय दिनांक 24.05.2018 में इसी पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 31.03.1992 के आधार पर आलोच्य भूखण्ड का वादी/अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में हस्तान्तरण होना अभिनिर्धारित किया है। सुनवाई के दौरान किसी भी स्तर पर पक्षकारों द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस आधार पर यह उपधारणा की जा सके कि उक्त विक्रय विलेख को निरस्त करने हेतु किसी न्यायालय में चाराजोही की गई हो। इस प्रकार उक्त विक्रय विलेख दिनांक 31.03.1992 एवं मूल मिसल 123/2004–05 में पृष्ठ संख्या आठ पर नत्थी बेचान इकरारनामा में किये अंकन अनुसार प्रार्थी का यह तर्क प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाया जाता है कि ज़ैर निगरानी आलोच्य भूखण्ड का पूर्व में एक पट्टा प्रार्थी श्री सकाराम के पक्ष में जारी हो चुका था तथा पुनः आलोच्य पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत द्वारा अवैध एवं अधिकारविहिन कार्यवाही प्रभाव में लाई गई।

प्रार्थी द्वारा आलोच्य संकल्प तथा भूमि विक्रय विलेख संख्या 4371 दिनांक 02.06.2004 के विरुद्ध यह आक्षेप भी प्रस्तुत किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

1996 के उपबन्धित प्रक्रियात्मक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जैर निगरानी आलोच्य संकल्प तथा भूमि विक्रय विलेख अप्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित किया गया तथा हस्तगत निगरानी याचिका के पैरा संख्या तीन से आठ में इसका विस्तृत विवरण अंकित किया है।

प्रार्थी द्वारा उठाए गए उक्त प्रक्रियात्मक आक्षेपों के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल मिसल 123/2004–05 का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं विश्लेषण किया गया, जिससे निम्नलिखित तथ्य उभरकर सामने आते है:–

(i) मिसल के प्रथम पृष्ठ पर एक आवेदन की प्रतिलिपि संलग्न है जिस पर न तो किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर है और न ही आवेदन व नक्शा शुल्क की रसीद के क्रमांक व दिनांक अंकित है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण मिसल में अप्रार्थीगण का कोई आवेदन या प्रार्थना पत्र बाबत पट्टा सलंग्न उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीपक्ष भी ऐसे किसी पट्टा आवेदन की प्रति तथा शुल्क रसीद की प्रति प्रस्तुत करने में असफल रहे है। यद्यपि अप्रार्थी संख्या एक व दो ने अपनी ओर से प्रस्तुत लिखित आपत्ति में पट्टे हेतु आवेदन पेश करने का अंकन किया है किन्तु उनका यह कथन दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में प्रमाणित नहीं पाया जाता है। **इस प्रकार स्पष्ट है कि आलोच्य पट्टा जारी करने हेतु अप्रार्थीगण द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया और ग्राम पंचायत ढोला द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 की पालना किए बिना ही मिसल कायम कर आदेशिका दिनांक 06.01.2004 में काल्पनिक कथनों का अंकन किया गया।**

(ii) मिसल में आदेशिका दिनांक 20.01.2004 में सरपंच द्वारा यह निर्देश दिए गए हैकि वार्ड पंच मौका देखकर मौका रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश करे। आगामी बैठक की आज्ञा आदेशिका दिनांक 05.02.2004 में यह अंकित है कि वार्ड पंचों की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। किन्तु सम्पूर्ण मिसल में मौका निरीक्षण हेतु आज्ञापक तीन पंचों का मनोनयन आदेश संलग्न नहीं है। अर्थात् पंचायत द्वारा विवादग्रस्त भूखण्ड के स्थल निरीक्षण हेतु किन तीन पंचों को नामित किया गया, इस सम्बन्ध में न तो मूल मिसल में कोई दस्तावेज उपलब्ध है और न ही ऐसा कोई आदेश अप्रार्थीपक्ष प्रस्तुत कर पाया है। इस स्थिति में मूल मिसल में सलंग्न स्थल निरीक्षण रिपोर्ट वैधानिक रुप से प्रमाणित नहीं मानी जा सकती। **इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ढोला द्वारा आलोच्य मिसल संख्या 123/2004–05 के सम्बन्ध में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 146 की पूर्वापेक्षा में अपेक्षित कार्यवाही प्रभाव में नहीं लायी गई।**

(iii) मिसल में सलंग्न आपत्ति इश्तिहार बअवधि एक माह दिनांक 05.02.2004 में चस्पानगी की तस्दीक का विवरण उपलब्ध नहीं है। अर्थात उक्त आपत्ति इश्तिहार की पुष्ठ पर ऐसा कोई विवरण अंकित नही है कि उक्त आपत्ति सूचना पत्र किस स्थान पर एवं किन दो व्यक्तियों की उपस्थिति में चस्पा किया गया। उक्त के अभाव में यह कार्यवाही राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 के प्रावधानानुरुप सम्यक् कार्यवाही नहीं मानी जा सकती।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

(iv) यहाँ यह अंकन करना महत्वपूर्ण है कि उक्त आपत्ति सूचना पत्र में प्रश्नगत भूखण्ड की चतुर्दशी अंकित की गई है, किन्तु प्रश्न यह उठता है कि जब पट्टे हेतु कोई आवेदन मय चतुर्दशी उपलब्ध नहीं था तथा नक्शा एवं स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में भी चतुर्दशी अंकन का अभाव है तो उक्त आपत्ति सूचना पत्र दिनांक 05.02.2004 में किस आधार पर चतुर्दशी का अंकन किया गया? अप्रार्थीपक्ष इस सम्बन्ध में कोई ठोस तर्क अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहे है।

(v) आलोच्य भूमि विक्रय विलेख संख्या 4371 बहक अप्रार्थीगण राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(ख) के अन्तर्गत पुराने गृहों के विनियतिकरण के रुप में जारी होना प्रमाणित है। किन्तु सम्पूर्ण मिसल में ऐसा कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो अप्रार्थीगण के पचास वर्ष से अधिक के रहवासी कब्जे की पुष्टि कर सके। यहाँ तक कि मूल मिसल में सलंग्न बयानपर्चों में भी अप्रार्थीगण के पुराने कब्जें एवं अवधि के सम्बन्ध में कोई कथन अंकित नहीं है। उपरोक्त के अभाव में यह समझ से परे है कि ग्राम पंचायत द्वारा किस आधार पर अप्रार्थीगण का पचास वर्ष से अधिक अवधि का रहवासी कब्जा प्रमाणित मानते हुए नियम 157 (ख) के अन्तर्गत आलोच्य पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया।

(vi) इस क्रम में यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित आलोच्य पट्टे की मूल कार्यालय प्रति में क्रेता के रुप में हीरालाल के हस्ताक्षर है, जबकि पट्टा अप्रार्थी संख्या एक लगाय तीन के पक्ष में निष्पादित किया गया है। पट्टे पर अंकित विवरण अनुसार उक्त हीरालाल पट्टाधारियों अर्थात अप्रार्थी संख्या एक लगायत तीन के पिता है। अर्थात पिता के जीवित होते हुए भी पुत्रों का पचास वर्ष से अधिक का रहवासीय कब्जा प्रमाणित मानते हुए उनके पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 ख में आलोच्य पट्टा निष्पादित किया गया। जबकि अप्रार्थी संख्या एक श्री किशोर कुमार द्वारा न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सुमेरपुर में उनकी ओर से वर्ष 2010 में प्रस्तुत स्थायी निषेधाज्ञा वाद में अपनी आयु 42 वर्ष अंकित गई थी इस तरह आलोच्य पट्टे हेतु मिसल 123/2004–05 दर्ज होने के समय उनकी आयु लगभग 36 वर्ष होना साबित होता है। अर्थात 36 वर्षीय व्यक्ति का ग्राम पंचायत ढोला द्वारा पचास वर्ष से अधिक का रहवासी कब्जा प्रमाणित माना गया तथा नियम 157 (ख) पुराने गृहों के विनियमितीकरण के रुप में उनके पक्ष में आलोच्य भूमि विक्रय विलेख संख्या 4371 दिनांक 02.06.2004 को निष्पादित किया गया, जो कि अवैधानिक व शून्यकरणीय कृत्य है।

(vii) यहाँ यह अंकन करना भी महत्वपूर्ण है कि ग्राम पंचायत ढोला द्वारा प्रेषित आलोच्य मूल मिसल संख्या 123/2004–05 में कुल 12 पृष्ठ सलंग्न है। जिसमें आठ पृष्ठों की नम्बरिंग की गई है तथा शेष दस्तावेजों में पूर्व पट्टा संख्या 51 दिनांक 22.11.1975 बहक प्रार्थी श्री सकाराम तथा विक्रय विलेख दिनांक 31.03.1992 की प्रतियों के रुप में चार पृष्ठ भी सलंग्न

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

नत्थी है। चूंकि उक्त मूल मिसल स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है. अतः यह उपधारणा की जा सकती है कि जैर निगरानी आलोच्य संकल्प दिनांक 05.03.2004 तथा भूमि विक्रय विलेख संख्या 4371 दिनांक 02.06.2004 जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत को प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में जारी उक्त पूर्व पट्टे की जानकारी थी।

उपरोक्त विश्लेषण एवं वजूहातों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी याचिका में अंकित तथ्य प्रमाणित पाये जाते है।

अतः हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 बहक प्रार्थी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत ढोला द्वारा मिसल संख्या 123/2004–05 के सम्बन्ध में पारित संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.03.2004 एवं उक्त संकल्प के अनुक्रम में निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या 4371 दिनांक 02.06.2004 को अपास्त किया जाता है। साथ ही, प्रकरण ग्राम पंचायत ढोला को पुनः प्रेषितः कर निर्देश दिए जाते है कि दोनों पक्षों को सुनवाई एवं दस्तावेज–साक्ष्य प्रस्तुतिकरण का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा विवादग्रस्त भूखण्ड के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के आलोक में पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत ढोला को यह भी निर्देश दिए जाते है कि निरस्त किये गए भूमि विक्रय विलेख संख्या 4371 दिनांक 02.06.2004 की मूल कार्यालय प्रति पर लाल स्याही से बड़े बड़े अक्षरों में 'निरस्त' का अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ पंचायत का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner